प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक 10 जून, 2024**

विषय:- "उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग देश के विभिन्न शहरों में व विदेशों में कार्यरत हैं। देश के विभिन्न नगरों में निवासरत एवं देश से बाहर गए सुविधा सम्पन्न लोग अपने नगर के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफार्म उपलब्ध न होने की वजह से वांछित स्तर का सहयोग व योगदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं।

2- उपरोक्त के दृष्टिगत यह प्रस्तावित है कि यदि कोई व्यक्ति, निजी संस्था किसी नगरीय निकाय में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास के कार्यों को कराना चाहते हैं/ करना चाहते हैं, और कार्य की लागत का 60 प्रतिशत की धनराशि वहन करने के इच्छुक हैं तो शेष 40 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिलापट्ट/प्लेट सहयोग करने वाले व्यक्ति/संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन अथवा अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

3- इस योजना का नाम 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना' रहेगा।

4- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 में नगर नगरीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 243 छ: के अन्तर्गत 11वीं अनुसूची में 74 वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 द्वारा कतिपय विषयों को नगरीय निकायों को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

5- उपरोक्त कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय निकायों में कार्य करने के लिए एक वृहद कार्य क्षेत्र मिला हुआ है। यह भी ज्ञात है कि इन समस्त कार्य क्षेत्रों में प्रभावी विकास करने के लिए और आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए अगर शासकीय धन व योजनाओं के साथ-साथ निजी सहभागिता को बढ़ाया जाए तो कार्य में तेजी आ सकती है। कार्य तेज गति से होने के साथ-साथ उसमें गुणात्मक सुधार और नए तकनीकी व विचार का समावेश भी हो सकता है। निजी निवेश, तकनीकी सहयोग एवं सुपरविजन उपलब्ध होने से कार्यों की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी।

6- योजना के तहत जो निर्माण कार्य किये जा सकते है, उसकी प्रतीकात्मक सूची निम्नवत् है:-

(i) स्कूलों व इण्टर कालेज की कक्षाओं का निर्माण या स्मार्ट क्लासेस की स्थापना व संचालन ।
(ii) सामुदायिक भवन, विवाह हेतु मैरिज हॉल (बारात घर), स्किल सेन्टर का निर्माण/संचालन।
(iii) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र (चिकित्सा विभाग द्वारा स्वीकृत और स्थापित होना चाहिए)- उप चिकित्सा केन्द्र भवन, साज-सज्जा, उन्नयन (Up-gradation), उपकरण आदि की व्यवस्था।
(iv) पुस्तकालय, ऑडीटोरियम, सुगम शिक्षा हेतु डिजिटल पुस्तकालय।

(v) खेलकूद स्टेडियम के लिए व्यायाम शाला और उपकरण, ओपन जिम।
(vi) सी.सी.टी.वी. कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम।
(vii) अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण/विकास।
(viii) जल उपचारण की व्यवस्था एवं सीवरेज/एस.टी.पी. सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
(ix) तालाब का सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था, जल संरक्षण के कार्य।
(x) बस स्टैण्ड, यात्री शेड, फायर सर्विस स्टेशन की स्थापना।
(xi) सोलर एनर्जी, स्ट्रीट लाईट, पेयजल व्यवस्था, एल.ई.डी. लाईट।
(xii) पशु सुधार नस्ल केन्द्र की स्थापना/संचालन, चारागाह विकास।
(xiii) नगरीय आर्टिशन के लिए अवस्थापना सुविधाएं व मार्केटिंग की व्यवस्था।
(xiv) नारी सशक्तीकरण की दिशा में महिला एवं पुरूषों के लिए स्वस्थ वातावरणयुक्त कार्यालय एवं हॉस्टल, वर्किंग वूमेन हॉस्टल, शिशु-सदन।
(xv) दुग्ध संग्रह केन्द्र/बल्क मिल्क कूलर व समितियों का विकास।
(xvi) सुरक्षित एवं स्वस्थ परिवेश हेतु सीनियर केयर सेन्टर, रिटायरिंग होम, फुट ओवर ब्रिज, अर्बन प्जाला।
(xvii) गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति के लिए कार्य।
(xviii) पार्कों का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, स्मृति पार्क/थीम पार्क।
(xix) अन्य विकास/जनोपयोगी कार्य।

उपरोक्त कार्यों के साथ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य क्षेत्र के कार्य भी कराए जा सकते हैं।

7- ऊपर दर्शाए गए कार्यों के लिए निर्धारित लागत में से दानकर्ता/दानकर्तागण अपने नगर मे 60 प्रतिशत या उससे अधिक राशि का दान देकर कार्य सम्पन्न करवा सकंगे। दानकर्ता द्वारा दी गयी राशि के बाद शेष 40 प्रतिशत राशि के अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।

8- अवगत कराया जाना है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-57/2021/2177/33-3-1713/2021 दिनांक 12.11.2021 द्वारा गवर्निंग काउन्सिल का गठन किया गया है। उक्त गठित 13 सदस्यीय गवर्निंग काउन्सिल में मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग को उपाध्यक्ष के रूप में एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को सदस्य के रूप में तथा नगर विकास विभाग से संबंधित अन्य सदस्यों को सम्मिलित करते हुए इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी" में संशोधन किया जाएगा। इस सोसाइटी के अन्तर्गत अधिकृत शासी संस्था और सशक्त समिति बनाई जाएगी। इस गवर्निंग काउंसिल और सशक्त समिति के सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-

गवर्निंग काउन्सिल

1	माननीय मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
2	माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग	उपाध्यक्ष
3	माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग	उपाध्यक्ष
4	मुख्य सचिव	सदस्य
5	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य

6	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	सदस्य
10	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
11	अध्यक्ष, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस0आई0आर0डी0), लखनऊ	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्ययोगिकी विभाग	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
14	ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यो से जुडे हुए दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित)	सदस्य
15	निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ	सदस्य
16	नगरीय क्षेत्र से जुड़े हुए दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित)	सदस्य
17	अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव

नगरीय क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु स्थापित सशक्त समिति की भांति ही निम्नानुसार पृथक सशक्त समिति का गठन किया जाना है:-

"नगरीय सशक्त समिति"

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	अध्यक्ष
2	संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य (विशेष आमंत्री)
3	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ	सदस्य
5	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग एवं नगरीय निकाय निदेशालय	सदस्य
7	निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य सचिव

9- योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि यानि कि शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था, कार्य से संबंधित विभागों के बजट प्रावधानों से की जाएगी, जिसका इंगितात्मक विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	विभाग का नाम
1	स्कूल व इण्टर कालेज की कक्षाएं या स्मार्ट क्लास	बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग
2	सामुदायिक भवन	नगर विकास विभाग
3	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र चिकित्सा विभाग द्वारा स्वीकृत और स्थापित होना चाहिए- उप चिकित्सा केन्द्र भवन	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग
4	पुस्तकालय	खेलकूद, युवा कल्याण विभाग
5	खेलकूद के लिए व्यायाम स्कूल भवन और उपकरण	खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
6	सी.सी.टी.वी. कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, फायर	गृह विभाग

	सर्विस स्टेशन के भवन	
7	अन्त्येष्टि स्थल का विकास	नगर विकास विभाग
8	जल उपचारण की व्यवस्था एवं सीवरेज/ एस.टी.पी. आदि	नगर विकास विभाग
9	बस स्टैण्ड	परिवहन/ नगर विकास विभाग
10	सोलर एनर्जी स्ट्रीट लाईट और पेयजल योजनाएं, आर०ओ० प्लान्ट	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नगर विकास विभाग

10- "उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी" का राज्य स्तर पर Urban Escrow बैंक अकाउण्ट एवं जिला स्तर पर मातृभूमि योजना सोसायटी के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों हेतु अलग से बैंक अकाउण्ट खुलवाया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों हेतु एक पृथक राज्य स्तरीय Urban Escrow बैंक अकाउण्ट का संचालन निदेशक, नगरीय निकाय एवं जिला स्तर पर भी नगरीय क्षेत्रों हेतु एक पृथक Urban Escrow बैंक एकाउन्ट का संचालन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। सोसायटी को आवश्यकतानुसार Corpus Fund उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा व बजट उपलब्ध होने पर इसे Reimburse किया जाएगा। इस Corpus Fund के ब्याज से PMU के संचालन का व्यय भार वहन किया जा सकेगा।

11- दानकर्ता के द्वारा संबंधित कार्य के लिए दान की राशि इस योजना के तहत खुलवाए गए Escrow अकाउण्ट में जमा करायी जाएगी। दान की राशि जमा करवाने के 30 दिनों के अंदर संबंधित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न कराई जाएगी एवं कार्य की प्रगति की रिपोर्ट शासन को दी जायेगी।

उक्त योजना का प्रस्ताव नगर निगमों द्वारा नगर आयुक्तों के माध्यम से तथा अन्य नगरीय निकायों (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के अधिशासी अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

12- योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने का कार्य "उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी" का होगा, जो नगरीय क्षेत्रों में निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ/ नगर विकास विभाग के माध्यम से कराया जायेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय की सहायता प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) करेगी। PMU द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जायेगा। इस पोर्टल के माध्यम से दानकर्ताओं के दान की राशि एवं सरकार के अनुदान की राशि योजना के लिए खुलवाये गये अलग बैंक अकाउण्ट में जमा होगी। इस राशि के जमा होने के बाद, उससे संबंधित कार्य के लिए व्यय किया जा सकेगा। किसी भी शेड्यूल्ड बैंक की मदद से पोर्टल को खोला जा सकेगा। पोर्टल के ऊपर कार्यों का विवरण और कार्य का प्रकार, आदि दर्शाना होगा, ताकि दानकर्ताओं को दान देने के लिए सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध हो सके। संबंधित नगरीय निकाय के लिए आवश्यकता अनुसार लॉग-इन आईडी और पासवर्ड जनरेट किये जायेंगे।

13- सरकारी अनुदान, CSR और अन्य ग्रान्ट भी पोर्टल के माध्यम से जमा होंगे। दानदाताओं के साथ सीधा संपर्क करने और अनुरोध व समस्याओं के निवारण के लिए एक कॉल सेंटर का प्रयोग किया जाएगा। इस कॉल सेंटर के मैनपावर और इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था "उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी" द्वारा की जाएगी। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए देश एवं विदेशों में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। विदेशों में प्रसारित होने वाले भारतीय चैनलों पर प्रसारण के साथ-साथ सोशल मीडिया में भी

इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। यह कार्य कार्यकारी समिति के निर्देशों के अनुसार PMU के द्वारा किया जाएगा।

14- दानदाताओं को योजना की जानकारी और कार्यों के विवरण का आदान-प्रदान नगरीय निकाय स्तर पर संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

a. कार्य पूर्ण होने के बाद दानकर्ता की ओर से प्रमाण पत्र मिलने के बाद इस योजना के तहत दानकर्ता एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान की राशि के 0.5 प्रतिशत या अधिकतम प्रति कार्य रूपये 10,000 की सीमा में नगरीय निकाय को फीस का भुगतान किया जाएगा। इस फीस की धनराशि 50 प्रतिशत दानकर्ता और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
b. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी संबंधित दानदाताओं को संपर्क करके उन्हें इस योजना की जानकारी देगें और नगरीय निकाय के विकास के लिए आवश्यक कार्यों का विवरण प्रदान करेगा।
c. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी संबंधित निकाय के लिए निर्धारित किये गये कार्यों की प्रगति की लेटेस्ट डिटेल्स, फोटो के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से दानदाताओं को समय-समय पर सूचना प्रदान करेगा।

15- इस योजना के अन्तर्गत, दानकर्ता की इच्छा के अनुसार उसकी पसंद की एजेंसी के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। दानकर्ता की पसंद की एजेंसी द्वारा दिये गये कार्य की नक्शे और DPR आदि कार्य से संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद एजेंसी के नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। दानकर्ता स्वयं भी कार्य करवा सकते हैं, परन्तु ऐसे मामले में सक्षम स्तर से DPR अनुमोदित होगी व भुगतान सीधा वेण्डर्स को किया जाएगा। ऐसे कार्य जो किसी विभाग द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं, उन पर तकनीकी स्वीकृति हेतु राज्य स्तर पर सेवानिवृत्त अभियंताओं व एक्सपर्टस का एक पैनल बनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से इन परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो सके। दानदाता निविदा समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होगे।

16- निर्माण कार्यों में से कोई भी कार्य यदि कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी करवाना चाहती है तो ऐसे कार्यों के लिए सरकारी सार्वजनिक उद्यम/निजी औद्योगिक इकाइयां, कार्य की कुल लागत का 60 प्रतिशत राशि स्वयं और शेष 40 प्रतिशत राशि उस कंपनी के CSR के माध्यम से सरकारी अनुदान में दे सकती है। अर्थात् इस योजना के तहत कोई भी सरकारी या प्राइवेट कम्पनी अपने CSR में से 40 प्रतिशत इन कार्यों के लिए दे सकेगी, जिसे सरकारी अनुदान के तौर पर माना जाएगा। इस योजना में यदि सांसद/विधायक निधि अन्य शासकीय योजना की धनराशि कन्वर्ज की जाती है तो उन्हें भी सरकारी अनुदान के रूप में माना जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा सक्रिय रूप से स्थानीय अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। योजना के तहत होने वाले प्रत्येक कार्य का अलग लेखांकन जिला स्तर पर रखना होगा। योजना के तहत किए गए कार्यों की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विभाग व संस्था जिसे परिसम्पत्ति स्थानांतरित की जाएगी उसकी रहेगी। दानकर्ता व्यक्ति/संस्था के Cridentials की जांच/मूल्यांकन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

17- PMU के मैनपावर एवं वाहनों, प्रवास आदि व्यय को प्रशासनिक व्यय के तौर पर माना जाएगा। यह व्यय आवंटित बजट के 3 प्रतिशत की सीमा तक किया जा सकेगा। इसके अलावा, कार्यकारी समिति कुल अनुदान के 3 प्रतिशत की सीमा में योजना के प्रचार-प्रसार, रोड शो आदि का बजट स्वीकृत करेगी।

18- इस प्रस्ताव के तहत नया व्यय हेड प्राप्त करने, सरकारी संस्था/आउटसोर्स की सेवा प्राप्त करने, पीएमयू स्थापित करने, बैंक अकाउण्ट खोलने, प्रशासनिक खर्च एवं प्रचार-प्रसार के लिए व्यय आदि के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी है। साथ ही, इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान करने होंगे और उसकी सैद्धान्तिक और प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी।

19- योजना के तहत होने वाले कार्यो की पुनरावृत्ति किसी अन्य योजना के माध्यम से न हो, यह तकनीकी के प्रयोग (Geo-tagging आदि से) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

20- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
12. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
10.06.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव